

Attachment- 1.6

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 01-12-2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.825 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Tharali to Kurad motor road (KM-15) to Gumar Lagga Gerud Link Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of village Gumar Lagga Gerud in Tharali Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Swati S. Bhadauria (IAS)

जिला अधिका. 7
चमोली

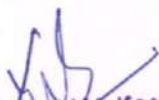
Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Swati S. Bhadauria (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 01-12-2018 at 13:00 PM at Chamoli in which the application claiming rights in **Gumad Lagga Gerud village in Tharali Tehsil**, area measuring **1.825 Hectares** for the **Construction of Tharali to Kurad motor road (KM-15) to Gumad Lagga Gerud Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


District Social Welfare Officer
Chamoli


उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोमेश्वर


District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिला अधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति— थराली.

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि-1.540 है0, नाप भूमि 0.140 है0, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित भूमि 0.285 है0 अर्थात् कुल 1.825 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-थराली) की दिनांक 08/08/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रोहित शर्मा उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री रोहित शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री राम सहाय	सु0 वि0 के0 प्रचारक	सदस्य / सचिव
4	श्री हरन सिंह बिष्ट	सु0 वि0 क्षेत्राधिकारी	सदस्य
5	श्री अरुण सिंह बिष्ट	सु0 वि0 क्षेत्राधिकारी	सदस्य
6	श्री		सदस्य
7	श्री		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.825 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुपंसा की गई है।

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, गोपाल सिंह बिष्ट, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र

प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

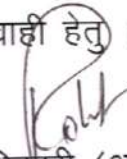
(14)

(2)

थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी 0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.825 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति
थराली
तहसील-थराली
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति
थराली
तहसील-थराली
जनपद-चमोली

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ लिंक मोटर मार्ग के वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 08/08/2018 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद—चमोली।

1	श्री रोहित श्रीवा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री राम. एस. शर्मा	संयोजक शादी. थराली	सदस्य / सचिव
4	श्री हेमन्त सिंह बिष्ट	सदस्य क्षेत्राधिकारी	सदस्य
5	श्री बाबन सिंह घटगि	सदस्य क्षेत्राधिकारी	सदस्य
6	श्री		
7	श्री		

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत
थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा
गेरुड़ ^{लिंक} मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गूमड़ लगा गेरुड़
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - चमोली के अन्तर्गत - थराली कुराड़ मोटर मार्ग के किमी0-15 से गूमड़ लगा गेरुड़ ^{लिंक} मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.540 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.720 हे0 भूमि मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित भूमि 0.285 हे0) अर्थात् कुल 1.8250 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गूमड़ लगा गेरुड़ द्वारा दिनांक 08/08/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गूमड़ लगा गेरुड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित
सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर

प्रारूप-30.4

दिनांक 08/08/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गूमड़ लगा गेरुड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	हरिश्च राम	हरिश्च राम
	मेवान राम	मेवान राम
	मंगलानन्द	मंगलानन्द
	मेहेशा नन्द	मेहेशा नन्द
	मेहेशा नन्द	मेहेशा नन्द
	लागेदीश प्रसाद	लागेदीश प्रसाद
	पूर्ण नन्द	पूर्ण नन्द
	जोर्जन प्रसाद	जोर्जन प्रसाद
	आलमा राम	आलमा राम
	मेहेशा नन्द	मेहेशा नन्द
	खी पट्ट	खी पट्ट
	कुलानन्द	कुलानन्द
	कानध्या प्रसाद	कानध्या प्रसाद
	मेहावीर सिंह	मेहावीर सिंह
	प्रसाद सिंह	प्रसाद सिंह
	बनोज सिंह	बनोज सिंह
	मेवान राम	मेवान राम
	हरिश्च नन्द	हरिश्च नन्द
	देवानन्द	देवानन्द
	मेहनन्द राम	मेहनन्द राम

ग्राम पंचायत गूमड़
गर्मड